रेफरेन्स / एल.आर. / 920 / 2003 / नागौर
सरकार बनाम अन्नाराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.7.19	**एकल पीठ** **श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य** उपस्थित– श्री लोकेन्द्र सिंह राणावत, उप राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी श्री जी.एस.लखावत, अभिभाषक अप्रार्थी के ब्रीफ होल्डर **निर्णय** यह रेफरेन्स राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अपर कलक्टर नागौर के रेफरेन्स प्रकरण सं. 12 / 95 में अनुशंषित कार्यवाही दिनांक 15–2–2003 के संदर्भ में पेश किया गया है। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया है कि ग्राम मुगदडा के खसरा नंबर 79 रकबा 15.08 बीघा भूमि संवत् 2012 से 2015 डोली मेडता मंदिर की खुदकाश्त की दर्ज है लेकिन धारा 19 में नामान्तरकरण संख्या 1 दिनांक 23–6–62 को अप्रार्थी के नाम स्वीकृत होकर खातेदारी दर्ज की गई। वर्तमान में उक्त आराजी अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। मंदिर मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है इसलिए मंदिर मूर्ति द्वारा धारित भूमि का अंकन अन्य किसी व्यक्ति / संस्था के नाम नहीं हो सकता है। अतः रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी बाबत अप्रार्थी के पक्ष में किये गये समस्त इन्द्राजात निरस्त किये जावे तथा उक्त आराजी पुनः डोली मेडता मंदिर के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी का बहस में कथन है कि जमाबंदी में केवल मंदिर मेडता दर्ज है किसी मंदिर मूर्ति का नाम दर्ज नही है तथा यह भूमि तनाजा व जागीर पारीक डोलीदार की जमाबंदी में दर्ज है। जागीर पारीक डोलीदार दर्ज होने से मंदिर की भूमि न होकर निजी डोली पारीक की है। मेडता मंदिर के खुदकाश्त की	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भूमि नहीं है। यदि उक्त भूमि किसी मूर्ति की खुदकाश्त की डोली होती तो जमाबंदी में भी मूर्ति का नाम परिचय इत्यादि दर्ज होता जो नहीं है। पारीक ब्राहमण डोलीदार दर्ज होने से स्पष्ट है कि यह पारीक ब्राहमणों की माफिक डोली थी किसी मंदिर की डोली नहीं थी। अतः यह रेफरेन्स सारहीन होने से खारिज किया जाए। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामान्तरण संख्या 1 पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 30–5–62 को खोला गया तथा दिनांक 23–6–62 को तहसीलदार मेडता द्वारा स्वीकृत किया गया। अर्थात् धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में मंगा, सुखा व अन्ना को दिनांक 23–6–62 को खातेदारी अधिकार मिले। इससे पूर्व दिनांक 20–5–62 को 30/–रूपए में बही द्वारा बजरिए बेचान बताकर मंगा, सुखा व अन्ना ने उक्त भूमि अन्ना पुत्र पीरा जाट सा0मुगदडा को विक्रय कर दी, इस विक्रय के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 31 दिनांक 4–12–63 को सरपंच ग्राम पंचायत मुगदडा ने स्वीकृत कर दिया। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी मंगा, सुखा व अन्ना को धारा 19 में खातेदारी अधिकार दिनांक 23–6–62 को मिलने से पूर्व ही उन्होंने दिनांक 20–5–62 को भूमि का विक्रय कर दिया इस कारण अन्ना के पक्ष में किया गया विक्रय विधि विरूद्ध है। जमाबंदी संवत् 2012–15 में भूमि तनाजा व जागीर पारीक डोलीदार कॉलम नं. 4 में तथा कॉलम नं. 5 में डोली मेडता के मंदिर की दर्ज है। मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग है और मूर्ति मंदिर की भूमियों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। मंदिर की भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा काश्त करने पर भी वह मंदिर की खुदकाश्त मानी जावेगी तथा काश्त करने के आधार पर कृषक को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। उक्त तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति के परिपेक्ष्य में हम विवादित भूमि को पुनः डोली मेडता	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मंदिर के नाम अंकित किया जाना न्यायोचित समझते हैं। अतः यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है तथा वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 79 रकबा 15.08 बीघा भूमि बाबत अप्रार्थी के पक्ष में किये गये समस्त इन्द्राजात एवं नामान्तरकरण संख्या 1 दिनांक 23–6–62 तथा नामान्तरकरण संख्या 31 दिनांक 4–12–63 निरस्त किये जाकर उक्त आराजी राजस्व अभिलेख में पुनः डोली मेडता मंदिर के नाम अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुनील कुमार शर्मा)** **सदस्य** c	